

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/29/2011

दर्ज दिनांक:-26.05.2011

1. रमेश }
2. विनोद }
3. राखी }
4. काजोल }
नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता खुद रूमा पत्नी राजवीर जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।
.....वादीगण

बनाम

1. राजवीर पुत्र तोता जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।
.....प्रतिवादी असल
2. कल्लो बेवा तोता।
3. भगवान सिंह }
4. रामवीर सिंह } पुत्रान तोता, जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर
5. राकेश } तहसील व जिला भरतपुर।
6. गुड्डी पत्नी मुकेशं
7. हरलाल } पिसरान नारायण जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर
8. रतीराम } वारिसान एवं कायम मुकामान मृतक आनंदी पत्नी नारायण जाति बावरिया
9. बाबू } निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

उपस्थित:

सत्यमेव जयते

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किंतु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर